भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2507

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में सतत् विकास

†2507. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पर्यटन स्थलों का सतत् और पर्यावरण अनुकूल तरीके से नवीकरण और विकास करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन अवसंरचना के अंतर्गत आवंटन को बजट अनुमान 2022-23 के 1750.34 करोड़ रुपये से घटाकर संशोधित अनुमान 2022-23 के चरण में 1022.86 करोड़ रुपये कर दिया है;

(ग) क्या सरकार की प्रसाद योजना के माध्यम से भारतीय पर्यटन क्षेत्र में सतत विकास को सुदृढ़ करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है। स्थायी पर्यटन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति के अनुरूप पर्यटन मंत्रालय ने ट्रैवल फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है। ट्रैवल फॉर लाइफ का लक्ष्य पर्यटन संसाधनों की खपत हेतु पर्यटकों तथा पर्यटन व्यवयसायों के लिए उठाए गए सुविचारित और सुनियोजित कदमों के माध्यम से देश में स्थायी पर्यटन का संवर्धन करना है।

देश में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटक गंतव्यों को बढ़ावा देने और स्थायी पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया (आरटीएसओआई) के सहयोग से देश के विभिन्न भागों के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कवर करते हुए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

(ख): जी, हाँ।

(ग): प्रशाद योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका लक्ष्य पूरे भारत में तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों में पर्यटक सुख-सुविधाओं का विकास करना है।

इस योजना के तहत परियोजनाओं की पहचान योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से की जाती है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और निष्पादन राज्य सरकार द्वारा अपनी-अपनी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन तकनीकी और प्रचालनात्मक पहलू के संबंध में स्थायित्व पर फोकस के साथ निम्नलिखित तरीके से किया जाता हैः

- कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग।
- फैसिलिटीज को ऊर्जा के संबंध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर संयंत्रों की स्थापना की जाती है।
- ऊर्जा की बचत करने वाले वाहनों को स्वीकृति देना और साइटों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वॉइंट्स की स्थापना।
- सॉलर पैसिव आर्किटेक्चर के डिजाइन में सुधार और कार्यान्वयन।
- साइटों पर सेवा/हस्तक्षेपों तथा अपशिष्ट निपटान प्रबंधन का व्यवस्थित तरीका।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का अनुकूलन।
- जल संरक्षण को बढ़ावा देना और भूमिगत जल-स्तर को बढ़ाना।

इसके अतिरिक्त इन परियोजना में सृजित परिसंपत्तियों के नियोजन और प्रचालन में सामुदायिक भागीदारी पर भी बल दिया जाता है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****